nagar units. Reports on the revival and rehabilitation of the two units have also been commissioned by the respective State Governments.

According to the Memorandum of Settlement on Assam, Central Government have agreed to render full assistance to the State Government in their efforts to reopen Ashok Paper Mills.

Consultations with the State Government have not concluded.

Production of oil and gas

1941. SHRI M. VINCENT: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) what was the total production of oil and gas in India during the year 1987 and

(b) what has been the percentage of increase in oil and gas reserves during the last two years?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI RAFIQUE ALAM): (a) OIL: 30.13 million tonnes GAS: 10830 million cubic meters.

(b) Percentage increase in geological reserves of oil and gas in the country from 1.1.85 to 1.1.87 was as under:

OIL: 11.4 per cent.

GAS: 11.8 per cent.

विभिन्न अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित समेकित भत्ता

1942. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सर्किल में कार्यरत विभिन्न अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के लिए कितना-कितना समेकित भत्ता निर्धारित किया गया है ;

(ख) टिकट विक्रेता (स्टाम्प वेंडर) के समेकित भत्ते का निर्धारण अन्य अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की भांति उनके कार्य के घंटो के आधार पर न करके स्टाम्प बिक्री के आधार पर किए जाने का क्या औचित्य है ; और

(ग) क्या सरकार इस भेदभाव को समाप्त करने तथा स्टाम्प वेन्डरो को भी काम के घंटे के आधार पर समेकित भत्ता देने का विचार रखती है क्योंकि वे भी तो मुद्रा (कैश) लेन-देन का समान महत्वपूर्ण कार्य कर रहे है ?

ऊर्जा मंत्री और संचार मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) दिल्ली सर्किल सहित सभी स्थानो में कार्यरत विभिन्न विभागेतर कर्मचारियों का मूल भत्ता नीचे दर्शाये गये कार्य-भार के आधार पर न्यूनतम और अधिकतम के बीच में नियत किया गया है।

विभागेतर कर्मचारियो की श्रेणी	मूल भत्ता (रु०) न्यूनतम	अधिकतम
1. विभागेतर उप-पोस्ट-मास्टर/विभागेतर भंडार/विभागेतर उप रिकार्ड लिपिक	385	620
2. विभागेतर शाखा पोस्टमास्टर	275	440
3. टिकट विक्रेताओं सहित अन्य विभागेतर कर्मचारी		
(i) दो घंटे से कम के कार्यभार के लिए		240
(ii) दो घंटे या उससे अधिक के लिए	270	420

इसके अतिरिक्त समय समय पर लागू महंगाई भत्ते के भी हकदार होते है ।

(ख) विभिन्न विभागेतर कर्मचारियों का मूल भत्ता कार्य-भार के आधार पर नियत किया जाता है न कि काम के घंटों के आधार पर । टिकट विक्रेताओं के मामले में भी मूल भत्ता कार्यभार के आधार पर नियत किया जाता है जिनकी गणना टिकटों की बिक्री के हिसाब से की जाती है ।

(ग) जी, नहीं ।

डाक विभाग में दिहाड़ी कर्मचारी

1943. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक विभाग में दिहाड़ी पर कार्यरत कर्मचारियों के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता तथा शहर प्रतिपूर्ति भत्ता न दिए जाने के क्या हैं ; और

(ग) इस दिहाड़ी कर्मचारियों तथा अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को नियमित किए जाने के लिए क्या-क्या प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

ऊर्जा मंत्री और संचार मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) न्यायालय के फैसले की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं :—

(क) दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्यरत कर्मचारियो को 5 फरवरी, 1986 से समतुल्य संवर्गों में नियमित आधार पर नियक्त कर्मचारियों के वेतनमान की दर से न्यूनतम वेतन के बराबर मजदूरी दी जाती है लकिन उन्हें कोई वेतन वृद्धि नहीं दी जानी है । इस निर्णय से प्रभावित श्रमिक इस मजदूरी पर देय, बराबर बराबर महंगाई भत्ता और अतिरिक्त महंगाई भत्ता, यदि कोई हो पाने के हकदार होंगे । न्याय लय के फैसले के फलस्वरूप बढ़ी हुई दरों पर देय बकाया राशि, 27 अक्तूबर, 1987 से 4 महीने के भीतर दी जानी है ।

(2) भारत सरकार को एक वर्ष से अधिक की अवधि से नियक्त हुए दैनिक कर्मचारियों को यथासंभव यक्तियुक्त आधार पर नियमित रूप से समाविष्ट करने के लिए योजना तैयार करनी है । यह योजना न्यायालय के फैसले की तारीख अर्थात् 27–10–87 से 8 महीने के भीतर तैयार की जानी है ।

(ख) मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिपूरक भत्ता नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को देय है जो उनकी तैनाती के स्थान पर निर्भर करता है । न्यायालय के फैसले में इन भत्तों के प्रति कुछ नही कहा गया है ।

(ग) दैनिक कर्मचारियों को नियमित करने की योजना की जांच की जा रही है । सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया है ।

पोस्टमैन के ग्रेड में रिक्त पदों का भरा जाना

1944. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या संचार मंत्री 11 मार्च, 1987 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1763 के दिए गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 दिसम्बर, 1987 की स्थिति के अनुसार दिल्ली सर्किल में पोस्टमैन तथा समूह "घ" के ग्रेड में रिक्त पदों की संख्या क्रमश. 192 और 243 थी ;

(ख) यदि हां, तो इन रिक्त पदों को भरे जाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इन रिक्त पदों को डाक तथा तार विभाग के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों में से ही उनकी वरीयता के आधार पर न भरे जाने के क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्री और संचार मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी हां ।

(ख) पुनरीक्षा के पश्चात् दिल्ली के कुछ डाकघरों में सरप्लस पोस्टमैन पाए-गए थे । स्टाफ द्वारा विरोध करने तथा कानूनी अड़चनों के कारण स्टाफ की कमी वाले डाकघरों मे इन पदों का डाइ-वर्सन नहीं किया जा सका । पोस्ट-मैन के ग्रेड में परिणामी रिक्तियों का पोस्ट-